

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-89/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० इन्द्राणी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरबहदा बाजार, खिजरसराय, गया के दिनांक-09.09.2021 से 16.05.2022 तक के अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

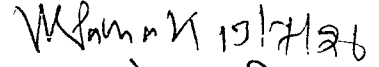
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-89/2024- 156712 पटना, दिनांक 14/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खिजरसराय, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/डा० इन्द्राणी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरबहदा बाजार, खिजरसराय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
६